अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/60 रीवा, दिनांक : 17-1-2025

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पी.एल.)
उच्च शिक्षा
कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– **योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 (संबद्धता शुल्क) अन्तर्गत बजट हेतु जानकारी उपलब्ध कराये जाने बावत्।**

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 4011/370/आउशि/बजट/24
भोपाल दिनांक 13–12–2024

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा में परिनियम 27 के अनुसार ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क से संबंधित जानकारी यथा अधिसूचना क्रमांक/विकास/2012/708 दिनांक 29–12–2012 के अनुसार ली जा रही है। सुलभ संदर्भ हेतु अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है।

<u>संलग्न</u> – यथोक्त

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. कुलगुरु जी के सचिव।
4. कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2012 / 708

रीवा दिनांक : 29-12-2012

संशोधित अधिसूचना

संशोधित परिनियम 27(4) में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्य परिषद की बैठक दिनांक 8–11–2012 मुख्य कार्यसूची के आइटम क्रमांक 11 में लिये गये निर्णयानुसार अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2012–13 से संशोधित वार्षिक सम्बद्धता शुल्क / सम्बद्धता आवेदन शुल्क सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. विश्वविद्यालय परिनियम 27(4) (संशोधित) अनुसार –

   स्नातक कक्षाओं हेतु –

   (अ) नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता शुल्क (प्रति संकाय चार विषय के लिये) — रुपये 50,000 / –

   (ब) प्रत्येक अतिरिक्त संकाय हेतु सम्बद्धता शुल्क (अधिकतम चार विषयों के लिये) — रुपये 50,000 / –

   (स) प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु प्रति विषय सम्बद्धता शुल्क — रुपये 20,000 / –

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु –

   (अ) नवीन महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता शुल्क चार विषयों के लिये (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) — रुपये 50,000 / –

   (ब) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिये सम्बद्धता शुल्क — रुपये 20,000 / –

3. स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए

   (अ) नये स्नातक महाविद्यालय प्रारम्भ करने अथवा नये अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये — रुपये 75,000 / –

   (ब) स्नातकोत्तर में प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए — रुपये 1,25,000 / –

...........2

4. वार्षिक सम्बद्धता जारी रखने हेतु सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क परिनियम 27 (संशोधित) 13(3) के अनुसार —

(अ) जो प्रत्येक सत्र के लिए 31 जुलाई तक अनिवार्यतः देय होगी —

	(1)	प्रत्येक सामान्य स्नातक डिग्री हेतु प्रत्येक संकाय के लिये	रुपये 20,000/—
	(2)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री/डिप्लोमा हेतु प्रति विषय के लिये	रुपये 30,000/—
(ब)	(1)	सामान्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये प्रत्येक विषय हेतु	रुपये 20,000/—
	(2)	व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय हेतु	रुपये 30,000/—

टीप— उपर्युक्त शुल्क 31 अगस्त तक बिना अधिभार एवं 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 25 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 50 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

5.	स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु जो आगामी सत्र के पूर्व 31 दिसम्बर तक देय होगी।	रुपये 50,000/—
6.	सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र की शुल्क	रुपये 10,000/—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथियों के अन्दर सम्बद्धता शुल्क जमा न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी जिसका समूचा उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। आवेदन शुल्क पृथक से पूर्वानुसार देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :—

1. महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा
6. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय
7. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
9. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद/छात्र कल्याण विभाग
10. वित्ताधिकारी, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
11. आवासीय संचालक, संपरीक्षक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
12. उप कुलसचिव — परीक्षा, प्रशासन, गोपनीय एवं विकास।

22/12/12

सहायक कुलसचिव (विकास)